बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज होने पर मुजफ्फरपुर जिला के श्री सत्यनारायण प्रसाद का बिजली बिल 133000.00 रूपए को संशोधित कर 7563.00 रूपए किया गया

ग्राम-मिश्रौली, प्रखण्ड-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर के श्री सत्यनारायण साह के द्वारा गलत बिजली बिल आने की शिकायत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराते हुए इसमें सुधार कराने का अनुरोध किया गया।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी के द्वारा इस परिवाद पर सुनवाई की गयी और सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) को इसका निवारण कराने के लिए नोटिस किया गया।

दिनांक-26.08.2021 को सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार द्वारा यह बताया गया कि उपभोक्ता के विद्युत विपत्र जिसकी कुल राशि 133000.00 रूपए थी, को संशोधित कर 7563.00 रूपए कर दिया गया है। परिवादी ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की और इसके लिए लोक शिकायत निवारण कानून की काफी सराहना की।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी लोक शिकायतें दर्ज करायें तथा निश्चित समय सीमा में सुनवाई के पश्चात् समाधान पाएं

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं